26.06.2015

कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने में कानून के विद्यार्थियों की भूमिका

1. भारत का संविधान के अनुच्छेद 39–ए में इस बात का निर्देश दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं समाज के वंचित वर्गों को राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी । संविधान के इसी निर्देश को पूरा करने के लिए संसद द्वारा वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 नामक कानून पारित किया गया जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को एवं समाज के वंचित वर्गों को सरकारों के खर्चे पर वकील की निःशुल्क सेवाएं, न्याय शुल्क और वाद तथा अपील आदि प्रस्तुत करने हेतु न केवल व्यय अपितु आवश्यक विधिक परामर्श भी उपलब्ध करवाया जाता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्यों के स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपदों के स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील/तालुका स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियॉ गठित की गयी हैं जो जरूरतमन्दों को विविध रूपों में विधिक सेवायें उपलब्ध करवाती आ रही हैं ।

2. विधि के छात्र विधिक साक्षरता फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं ।

3. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर भ्रमण करके और शिविर लगा कर निर्धनों और वंचितों को उनके अधिकारों से अवगत करवा सकते हैं ।

4. भ्रूण हत्या, दहेज–प्रथा उन्मूलन एवं बाल–विवाह आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा बनाये गये कानूनों से लोगों को विशेषकर ग्रामीण जनता को जागरूक कर सकते हैं ।

5. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वादकारियों को शासन स्तर से दी जाने वाली विधिक सहायता के विभिन्न उपायों और सुविधाओं के बारे में उन्हें बता सकते हैं ।

6. न्यायालयों के परिसरों में जाकर वादकारियों के बीच सुलह समझौता करवाकर उनके वादों का निस्तारण करवा सकते हैं ।

7. लोक अदालतों की कार्यवाही में वादकारियों के मध्य सुलह समझौतों के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं ।

8. विधि के छात्र जनपद के किसी एक ग्राम को गोद लेकर उसे वाद रहित ग्राम घोषित करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं ।

9. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके वादों के समाधान के लिए उन्हें कानूनी परामर्श दे सकते हैं ।

10. यह सब करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें स्वयं विभिन्न प्रकार की विधियों का अच्छी तरह से अध्ययन करके सम्यक् ज्ञान अर्जित करना चाहिए ।

11. वकीलों के बीच जाकर उनके व्यावसायिक कौशल और पेशेवर दक्षता से अवगत हो सकते हैं ।

12. समय–समय पर विधायिका द्वारा बनाये जाने वाले कानूनों और संसाधनों पर विधि के छात्र सेमिनार आदि के माध्यम से नयी विधियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं ।

13. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की देख–रेख में जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों और विधिक सेवा के विविध तरीकों के बारे में इण्टर्नशिप के माध्यम से भली–भांति परिचित हो सकते हैं ।

14. विधियों के सम्यक् अध्ययन से विधि के छात्र आगे चलकर अच्छे अधिवक्ता और न्यायाधीश हो सकते हैं ।

*****